फैक्स/ई-मेल/महत्वपूर्ण
संख्याः-491/छः-पु0-15-2016

प्रेषक,

मिनिस्ती एस0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-आगरा/बरेली/मिर्जापुर/श्रावस्ती/बलिया/बलरामपुर/बाराबंकी
/बदांयू/बहराइच/गोण्डा/गाजीपुर/जौनपुर/मुरादाबाद एवं सोनभद्र।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 **लखनऊःदिनॉक 9 नवम्बर, 2016**

विषयः-**गृह विभाग एवं यूनिसेफ** के संयुक्त सहयोग से आपके जनपदों में **द्वितीय चरण हेतु माडल बाल मित्र थाना** विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में किशोर न्याय (Juvenile Justice Act 2015) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अन्तर्गत थाने स्तर पर आवश्यक संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु **द्वितीय चरण में** माडल बाल मित्र थाना विकसित करने का लक्ष्य है।

2. उल्लेखनीय है कि प्रथम चरण में 06 जनपदों में यह कार्य सफलतापूर्वक किया जा चुका है। गृह विभाग एवं यूनीसेफ के सहयोग से **द्वितीय चरण में** आपके जनपदों में निम्नलिखित थानों को बाल मित्र थाना के रूप में चयनित किया गया हैः-

क्रमांक	जनपद का नाम	चयनित थाना
1	आगरा	थाना पर्यटन (टूरिज्म)
2	बरेली	थाना कोतवाली
3	मिर्जापुर	थाना कोतवाली कटरा
4	श्रावस्ती	थाना कोतवाली भिन्गा
5	बलिया	थाना खेजुरी
6	बलरामपुर	थाना कोतवाली देहात
7	बाराबंकी	थाना कोतवाली
8	बदायूं	थाना कोतवाली
9	बहराइच	थाना कोतवाली देहात
10	गोण्डा	थाना कोतवाली नगर
11	गाजीपुर	महिला थाना
12	जौनपुर	थाना लाइन बाजार
13	मुरादाबाद	थाना सिविल लाइन्स
14	सोनभद्र	थाना राबर्ट्सगंज

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को नवम्बर, 2016 से मार्च, 2017 की अवधि में चलाये जाने का उद्देश्य है जिसमें आपके सक्षम नेतृत्व, मानीटरिंग एवं संरक्षण की अपेक्षा है। इस संदर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. यूनिसेफ के साथ एवं इस प्रोजेक्ट हेतु कार्यदायी सहयोगी एहसास संस्था के साथ आपकी अध्यक्षता में एक बैठक तत्काल आयोजित की जाये। इस बैठक में चयनित थाना के प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपजिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाये।

2. आपके जिले में मौजूद जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी एवं एस0जे0पी0यू0 के प्रभारी अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी को भी इस बैठक में अवश्य आमंत्रित किया जाय।
3. इस बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि द्वारा बाल मित्र थाना के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा, जिसमें अगले 5 महीनों की अपेक्षित कार्यवाही की रूपरेखा एवं अपेक्षित सहयोग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे एवं इसको सफल बनाने हेतु आपसे आवश्यक विचार विमर्श करेंगे।
4. मूलरूप से माडल बाल मित्र थाना बनाने के लिये संवेदनशीलता प्रत्येक स्तर के अधिकारी में होना चाहिये, जिसके लिये यूनिसेफ एवं उनके सहयोगी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। उस थाने से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी (जे0जे0एक्ट 2015 के अन्तर्गत नामित) को बच्चों के काउन्सिलिंग एवं संबंधित मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. चयनित थानों में बच्चों के लिये मूलभूत सुविधाओं हेतु पानी, भोजन एवं शौचालयों इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।

उपरोक्त के संबंध में यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था एहसास लखनऊ के निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्पर्क करेंगे, जिनके सम्पर्क नम्बर निम्नलिखित हैंः-

श्री आफताब मोहम्मद, यूनिसेफ	9670860011
सुश्री शची सिंह, एहसास संस्था, लखनऊ	9451249058

भवदीया,
9/11/16
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक।
7. जिलाधिकारी, जनपद-आगरा/बरेली/मिर्जापुर/श्रावस्ती/बलिया/बलरामपुर/बाराबंकी /बदांयू/बहराइच/गोण्डा/गाजीपुर/जौनपुर/मुरादाबाद एवं सोनभद्र।
8. डा0आफताब मोहम्मद, यूनीसेफ चाइल्ड विशेषज्ञ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
9. सुश्री शचि सिंह, महासचिव, एहसास संस्था, 4/482 विकासनगर, लखनऊ-226022

आज्ञा से,
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।

फैक्स/ई-मेल/महत्वपूर्ण
संख्याः-206(1)/छः-पु0-15-2016

प्रेषक,

मिनिस्ती एस0,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक,
जनपद-लखनऊ/वाराणसी/इलाहाबाद/गोरखपुर/कानपुर एवं गाजियाबाद।

गृह(पुलिस)अनुभाग-15 **लखनऊःदिनॉक 31 मई, 2016**

विषयः-**<u>गृह विभाग एवं यूनिसेफ</u>** के संयुक्त सहयोग से जनपद में **<u>माडल बाल मित्र थाना</u>** विकसित करने के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश में किशोर न्याय (Juvenile Justice Act 2015) अधिनियम, 2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act 2012) के अन्तर्गत थाने स्तर पर आवश्यक संवेदनशीलता को बढ़ाने हेतु माडल बाल मित्र थाना विकसित करने का लक्ष्य है। गृह विभाग एवं यूनीसेफ के सहयोग से प्रथम चरण में आपके जनपदों में निम्नलिखित थानों को बाल मित्र थाना के रूप में चयनित किया गया हैः-

क्रमांक	जनपद का नाम	चयनित थाना
1	लखनऊ	हजरतगंज कोतवाली
2	वाराणसी	थाना कैण्ट
3	इलाहाबाद	थाना कोतवाली
4	गोरखपुर	थाना कोतवाली
5	कानपुर	थाना कैण्ट
6	गाजियाबाद	सिहानी गेट थाना

इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को जून, 2016 से अक्टूबर, 2016 की अवधि में चलाये जाने का उद्देश्य है जिसमें आपके सक्षम नेतृत्व, मानीटरिंग एवं संरक्षण की अपेक्षा है। इस संदर्भ में आपके स्तर से निम्नलिखित कार्यवाही अपेक्षित हैः-

1. यूनिसेफ के साथ एवं इस प्रोजेक्ट हेतु कार्यदायी सहयोगी एहसास संस्था के साथ आपकी अध्यक्षता में एक बैठक तत्काल आयोजित की जाये। इस बैठक में चयनित थाना के प्रभारी, क्षेत्राधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपजिलाधिकारी को आमंत्रित किया जाये।
2. आपके जिले में मौजूद जिला प्रोबेशन अधिकारी (महिला एवं बाल विकास विभाग), जिला बाल संरक्षण अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी एवं एस0जे0पी0यू0 के प्रभारी अधिकारी, ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी को भी इस बैठक में अवश्य आमंत्रित किया जाय।

3. इस बैठक में यूनिसेफ के प्रतिनिधि द्वारा बाल मित्र थाना के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया जायेगा, जिसमें अगले 5 महीनों की अपेक्षित कार्यवाही की रूपरेखा एवं अपेक्षित सहयोग के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करेंगे एवं इसको सफल बनाने हेतु आपसे आवश्यक विचार विमर्श करेंगे।
4. मूलरूप से माडल बाल मित्र थाना बनाने के लिये संवेदनशीलता प्रत्येक स्तर के अधिकारी में होना चाहिये, जिसके लिये यूनिसेफ एवं उनके सहयोगी संस्था द्वारा प्रशिक्षण दिया जायेगा। उस थाने से संबंधित बाल कल्याण अधिकारी (जे0जे0एक्ट 2015 के अन्तर्गत नामित) को बच्चों के काउन्सिलिंग एवं संबंधित मुद्दों पर विशेष प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. चयनित थानों में बच्चों के लिये मूलभूत सुविधाओं हेतु पानी, भोजन एवं शौचालयों इत्यादि को बढ़ावा दिया जायेगा।

उपरोक्त के संबंध में यूनिसेफ एवं सहयोगी संस्था एहसास लखनऊ के निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्पर्क करेंगे, जिनके सम्पर्क नम्बर निम्नलिखित हैं:-

श्री आफताब मोहम्मद, यूनिसेफ	9670860011
सुश्री शची सिंह, एहसास संस्था, लखनऊ	9451249058

भवदीया,

(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
2. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
3. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
4. महानिदेशक, महिला सम्मान प्रकोष्ठ, उ0प्र0, लखनऊ।
5. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ।
6. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक।
7. जिलाधिकारी, जनपद-लखनऊ/वाराणसी/इलाहाबाद/गोरखपुर/कानपुर एवं गाजियाबाद।
8. डा0आफताब मोहम्मद, यूनीसेफ चाइल्ड विशेषज्ञ, बी-3/258, विशालखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010
9. सुश्री शचि सिंह, महासचिव, एहसास संस्था, 4/482 विकासनगर, लखनऊ-226022

आज्ञा से,

31/5/16
(मिनिस्ती एस0)
विशेष सचिव।